

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 244 /जयपुर/1997-98

यह प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थानी कन्ज्यूमर्स अवेयरनेस

जिला जयपुर

एण्ड रिसर्च सोसायटी, जोशी भवन, गोविन्दगढ़


राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम

संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक 11 अक्टूबर 1997 सन् एक हजार नौ सौ 97-98

को जयपुर में दिया गया।



ए. ए. शर्मा
रजिस्ट्रार संस्थाए

रजिस्ट्रार कार्यालय

राजस्थान राज्य सहकारी मंत्रालय जिमिड, जयपुर-1

जयपुर

राजस्थानी कंज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिस्वर्च सोसायटी इराकार्त १

∴ संघ विधान पत्र ∴

1. संस्था का नाम : इस संस्थान का नाम राजस्थानी कंज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिस्वर्च सोसायटी इराकार्त है व रहेगा ।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय जोशी भवन, जोशी रोड, गोविन्दगढ जिन्ना जयपुर है । तथा कार्य के राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा ।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा संरक्षण व वृद्धि के लिये विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियाँ आयोजन करना, योजनाएँ तैयार करना तथा उन्हें सहयोगी संस्थाओं के साथ अथवा स्वयं क्रियान्वित करना । उपभोक्ता संरक्षण से

पु पुस्तक या अपुस्तक जुड़े मुद्दों व विषयों पर कार्य करना ।

2. उपभोक्ताओं या आम जनता के हितों के लिए विभिन्न संस्थान, सीमांत वी प्रकोष्ठ, जागृति व शिक्षण केन्द्र तथा समस्या समाधान केन्द्रों की स्थापना करना । विभिन्न विषयों पर अध्ययन व सर्वे करना और रिपोर्ट तैयार पुस्तक व पत्रिकाएं प्रकाशित करना ।

3. पर्यावरण, स्वास्थ्य जागृति, जनशक्ति बोध एवं बालकों, महिलाओं के विकास और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएँ तैयार करना । अध्ययन करना, ताहिहत्व प्रकाशित करना और स्वयं अथवा सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से योजनाओं को क्रियान्वित करना ।

4. पुस्तकालय, दस्तावेज केन्द्रों, सन्दर्भ केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं जानकारी व सुचनाएं उपलब्ध कराने के तन्त्र के रूप में कार्य करना यदि जरूरी हो तो आसन पुरातन व अन्य संस्थाओं को सुझाव देने या उनकी मदद करना व आपसी समन्वय को बढ़ावा देना ।

5. विमान उद्देश्यों हेतु नई संस्थाओं के गठन को प्रोत्साहित करना, विभिन्न सरकारी स्तर पर स्वयंसेवी समूहों को प्रेरित करना एवं अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध करना व आपसी समन्वय को बढ़ावा देना



2/11/2017


21.11.2017

6. उपरोक्त शिक्षा में विभिन्न प्रयोगशालाओं, परीक्षा केन्द्रों की स्थापना करना। वस्तुओं का मानक तय करने में मदद करना, गोपनीयता सम्मेलन प्राशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान व युवा मंच जैसे कार्यक्रम आयोजित करना।
7. समान उद्देश्यों हेतु विभिन्न सरकारी स्तर पर कार्यवाही कर रही सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग करना, उनके सहयोग लेना, राजस्व व अन्तरास्ट्रोव संस्थाओं को व सरकारी के साथ मिलकर कार्य करना उनके सम्बद्ध होना।
8. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं नीतिनिधियां करना उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम, घीरटो शो, पुरस्कार योजनायें आयोजित करना व अन्य संस्थाओं व नागरिकों से आर्थिक सहयोग लेना।

नोट:- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निर्दिष्ट नहीं है।

848 संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान प्रशासक का निम्नलिखित है।

क्र.सं.	नाम व पद	पता का नाम	व्यवस्था	पूर्ण पता	पद
1.	शत्रुघ्नारायणशर्मा	श्री अमरचन्द्रशर्मा	समाजसेवा	ORIS, Revda गोकुलपुर (जयपुर)	अध्यक्ष
2.	मदीप जोशी	श्री राजेश जोशी	L.I.C. गुल्मी	कोटा अफसर-प्रभु गोकुलपुर (जयपुर)	सहायक
3.	कमल बाली	श्री मदनमोहनशर्मा	समाजसेवा	मु.पी. मनादना 2/1 जयपुर	सहायक



4. मुनेश कुमार 5/0 श्री कपनाप्रतापशर्मा
5. श्रीमती सुनील शर्मा 5/0 श्री सुनील शर्मा 5/0 श्री सुनील शर्मा
6. श्रीमती सुनील शर्मा 5/0 श्री सुनील शर्मा 5/0 श्री सुनील शर्मा
7. श्रीमती सुनील शर्मा 5/0 श्री सुनील शर्मा 5/0 श्री सुनील शर्मा
8. श्रीमती सुनील शर्मा 5/0 श्री सुनील शर्मा 5/0 श्री सुनील शर्मा
9. श्रीमती सुनील शर्मा 5/0 श्री सुनील शर्मा 5/0 श्री सुनील शर्मा
10. श्रीमती सुनील शर्मा 5/0 श्री सुनील शर्मा 5/0 श्री सुनील शर्मा

म.ने.का. सुभाष

30

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम व्यक्तियों व पूर्ण पते निम्न प्रकृत हैं :-
 इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के स्व में गीत होने व इसे
 रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है :-

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	व्यक्तिय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	रमेश चन्द्र (पुत्र) शर्मा 5/0 श्री कान्त चन्द्र शर्मा	समाजसेवा	व.एस. रोड गोविन्दगढ़ (जयपुर)	300020
2.	अदीप जोशी 5/0 श्री राजचन्द्र जोशी	L.I.C. Agent	पोस्ट ऑफिस के पास गोविन्दगढ़ (जयपुर)	300020
3.	नामिनी वाईएच 5/0 श्री अमल मोहन शर्मा	समाजसेवा	मु.पो. मन्नापुर जिला-राजसमोदा	300020
4.	मुनेश कुमावत 5/0 श्री रूपनाराम कुमावत		पुराने ब्ला. ऑफिस के पास गोविन्दगढ़ (जयपुर)	300020
5.	सन्दीप लाल शर्मा 5/0 एम. श्री सुरतीधर शर्मा	उप-डाकघर (राजसमोदा)	पोस्ट ऑफिस के पास गोविन्दगढ़ (जयपुर)	300020
6.	राजेश कुमार शर्मा 5/0 श्री डारचन्द्र	व्यवसाय	श्री. प्रताप चन्द्र डेपोट के पास गोविन्दगढ़ (जयपुर)	300020
7.	श्रीमती दीपदी शर्मा 5/0 श्री केदार प्रसाद शर्मा		V.P.O. व.एस. वाणवासी जिला-जयपुर (राज.)	300020
8.	ब्रजशिव शर्मा 5/0 श्री रामगोपाल शर्मा		जिला-जयपुर (राज.) जिला-जयपुर के पास श्री साधोपुर (राज.)	300020
9.	सुगम चन्द्र शर्मा 5/0 श्री दामोदर प्रसाद शर्मा		मु.पो. मन्नापुर (राज.) वाण-गोविन्दगढ़ (जयपुर)	300020
10.	रविशंकर बर्मा 5/0 श्री देवेन्द्र शर्मा	अध्यक्ष	V.P.O. लोहरवाडा वाण उदयपुरिया जिला-जयपुर 300807	300020



हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं ने
 हमें जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी
 घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

हस्ताक्षर: नाम/व्यक्तिय/पूर्ण पता
 हस्ताक्षर: नाम/व्यक्तिय/पूर्ण पता

संख्या का परिचय क्रमांक: 1
 (2) संस्था का नाम: ...
 (3) ...
 (4) ...
 (5) ... 22-7-87
 (6) ...

राजस्थानी कंज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिस्व सोसायटी {राकार्त}

∴ संघ विधान पत्र ::

1. संस्था का नाम : इस संस्थान का नाम राजस्थानी कंज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिस्व सोसायटी {राकार्त} है व रहेगा ।
2. पंजीकृत कार्यालयतथा: इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय जोशी भवन, 300बी 0एस0 कार्य क्षेत्र रोड, गोविन्दगढ जिला जयपुर है । तथा कार्य क्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा ।
3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्थान के निम्नीलिखित उद्देश्य है :-
 1. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा संरक्षण व वृद्धि के लिये विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियां आयोजन करना, योजनायें तैयार करना तथा उन्हे सहयोगी संस्थाओं के साथ अथवा स्वयं क्रियान्विति करना । उपभोक्ता संरक्षण से पुत्यक्ष या अपुत्यक्ष जुड़े मुद्दों व विषयों पर कार्य करना ।
 2. उपभोक्ताओं या आम जनता के हितों के लिए विभिन्न संस्थान, समिती तथा पुकोष्ठ, जागृति व शिक्षण केन्द्र तथा समस्या समाधान केन्द्रों की स्थापना करना । विभिन्न विषयों पर अध्ययन व सर्वे कराना और रिपोर्ट तारीहत्य पुस्तके व पत्रिकाएं प्रकाशित करना ।
 3. पर्यावरण, स्वास्थ्य जागृति, जनशक्ति बोध एवं बालकों, महिलाओं के विकास और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनायें तैयार करना । अध्ययन करना, तारीहत्य प्रकाशित करना और स्वयं अथवा सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से योजनाओं की क्रियान्विति करना ।
 4. पुस्तकालय, दस्तावेज केन्द्रों, सन्दर्भ केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं जानकारी व सूचनाएं उपलब्ध कराने के तन्त्र के रूप में कार्य करना यदि जरूरी हो तो शासन प्रशासन व अन्य संस्थाओं को सुझाव देने या उनकी मदद करना व आपसी समन्वय को बढ़ावा देना ।
 5. समान उद्देश्यों हेतु नई संस्थाओं के गठन को प्रोत्साहित करना, विभिन्न सरकारी स्तर पर स्वयंसेवी समूहों को प्रेरित करना एवं अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध करना व आपसी समन्वय को बढ़ावा देना
 6. उपभोक्ता हित में विभिन्न प्रयोगशालाओं, परीक्षण केन्द्रों की स्थापना करना । वस्तुओं का मानक तय करने में मदद करना, गोपिष्ठयां, सम्मेलन प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान व खुला मंच जैसे कार्यक्रम आयोजित करना।

7- समान उद्देश्यों हेतु विभिन्न सरकारी स्तर पर कार्यवाही कर रही सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग ले करना, उनसे सहयोग लेना, राजस्वीय व अना राजस्वीय संस्थाओं को व सरकारी के साथ मिलकर कार्य करना उनसे सम्बन्ध होना ।

8- उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ण हेतु आवश्यक कार्यवाही व गतिशीलता करना, उद्देश्यों को पूर्ण हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम, पौरटो व पुरस्कार योजनाएँ आयोजित करना व अन्य संस्थाओं व नागरिकों से जायिक सहयोग लेना ।

नोट :- उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ण में कोई लाभ निर्दिष्ट नहीं है ।

9- सदस्यता निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :

- 1- संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों ।
- 2- बालिग हों ।
- 3- पागल व दोषालिये न हों ।
- 4- संस्था के उद्देश्यों में स्वो व आस्था रखते हों ।
- 5- संस्था के हित को सार्वोपर्यो समझते हों ।

10- सदस्यों का वर्गीकरण: संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे ।

- §1§ सरक्षक
- §2§ विधिषष्ठ
- §3§ सक्रिय
- §4§ साधारण

11- सदस्यों द्वारा उपनिषम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार प्रदत्त शुल्क व वन्द्य शुल्क व वन्द्य देय होंगे ।

- 1- सरक्षक स्वये 1100/- वार्षिक
- 2- विधिषष्ठ स्वये 200/- वार्षिक
- 3- सक्रिय स्वये 22/- वार्षिक
- 4- साधारण निःशुल्क

नोट: साधारण सदस्यों को पुनः व लडने व मत देने का व कार्यकारिणी के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा

§ उक्त राशी सम्मुखत जमा करायो जा सकेगी §

12- सदस्यता से संस्था के सदस्यों का निःस्कारण निम्न प्रकार विभाजित सकेगा :

- §1§ मृत्यु होने पर
- §2§ त्याग पत्र देने पर
- §3§ संस्था के उद्देश्यों के विपर्येत कार्य करने पर
- §4§ कार्यकारिणी द्वारा दोषो पावे जाने पर

उद्देश्य संस्था

.....
[Signature]

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु पथ समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा : 1- प्रबन्धकारियों साधारणसभा के निम्न अधिकार व कर्तव्य होंगे :

के अधिकार और §18 प्रबन्धकारियों का चुनाव करना।

कर्तव्य §28 वार्षिक बजट पारित करना।

§38 प्रबन्धकारियों द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टी करना

§48 संस्था के कुल सदस्यों 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन अथवा परिवर्तन करना।

§ जो रजिस्ट्रार कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर लागू होगा। §

10. साधारण सभा : साधारण सभा एक वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी, लेकिन

जो बैठक आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/महासचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

§28 साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा

§38 बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 §तीन§ दिन पूर्व दी जावेगी।

§48 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जासकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर जाहूत की जा सकेगी। ऐसे स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यक नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय कहे होंगे जो पूर्व स्नेषका में थे।

§58 संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर महासचिव/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर अन्दर बैठक जाहूत करना अनिवार्य होगा। अनिर्धारित अवधि में अध्यक्ष/महासचिव द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नीतिगत कार्य कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय विधायक व सर्वमान्य होंगे।

11-कार्यकारियों : संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारियों का गठन किया जावेगा, जिसके पदाधिकारों व सदस्य निम्न पृष्ठ होंगे :



Dr. Shweta

मुकुन्द कुमार

...7

Dr. Shweta

- §18 अध्यक्ष- एक
- §28 वीरजो उपाध्यक्ष- एक
- §58 सचिव- जात §88
- §78 सदस्य- पंद्रह §158
- §38 उपाध्यक्ष- छह §68
- §48 महासचिव- एक
- §68 कोषाध्यक्ष- एक

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 18 पदाधिकारी व 15 सदस्य कुल 33 सदस्य होंगे।

12- कार्यकारिणी का निर्वाचन


- §18 संस्था की प्रबन्धकारिणी का पुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।
- §28 पुनाव अप्रत्यक्ष पणाली द्वारा किया जायेगा।
- §38 पुनाव अधिकारी को नियुक्ती प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

13- कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य

- संस्था की कार्यकारिणी को निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे:
- §18 सदस्य बनाना/ निष्कासित करना।
- §28 वार्षिक बजट तैयार करना।
- §48 संस्था को सम्पत्ति की रक्षा करना।
- §48 संस्था को सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- §58 पेशेवर कर्मचारियों को नियुक्ती करना तथा उनके पेशेवर भत्तों का निर्धारण करना, सेवा मुक्त करना।
- §68 कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
- §78 अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

14- कार्यकारिणी की बैठकें

- §18 कार्यकारिणी को एक वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बैठक अध्यक्ष/ महासचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
- §28 बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
- §38 बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन के पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में दी जा सकेगी।
- §48 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी, जो पुनः दूतरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी ऐसी स्थिति में बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विवाशनीय विषय वही होंगे, जो पूर्व सत्र में ही ऐसी स्थिति में सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के



Dr. Shiv

सुकेवा सुभाष

...

के कम से कम दो पदाधिकारियों को उपस्थित अनिवार्य होगी
इस सभा को कार्यवाही की पूर्ण आगामी काम सभा में करना
आवश्यक होगा ।

15- प्रबन्धकारिणी संस्था को प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कार्य निम्न प्रकार
के पदाधिकारियों होंगे :-

- अधिकार एवं कार्य
- §18 अध्यक्ष
- §18 बैठकों को अध्यक्षता करना ।
- §28 मत वरावर जाने पर निर्णायक मत देना ।
- §38 बैठके आहूत करना ।
- §48 संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।
- §58 सौंपदा व अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।

§28 वरिष्ठ उपाध्यक्ष:

- §18 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।
- §28 प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना ।

//3// उपाध्यक्ष


- §18 उपाध्यक्ष अध्यक्ष/वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।
- §28 प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना ।

§48 महासचिव

- §18 बैठके आहूत करना ।
- §28 कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड करना ।
- §38 आय व्यय पर नियन्त्रण करना ।
- §48 बैठकों के अर्थात् कार्यवाही पर नियन्त्रण करना तथा इनके लेखन व यात्रा पैसल जारी करना ।
- §58 संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था को जोर से हस्ताक्षर करना ।
- §68 पत्र व्यवहार करना ।
- §78 सम्पत्ति को सुरक्षा हेतु वेधाने अन्य कार्य को सम्भालना ।

5 योग :

- §18 महासचिव की अनुपस्थिति में महासचिव पद के समस्त कार्य संभालना करना ।
- §28 अन्य कार्यको प्रबन्धकारिणी महासचिव द्वारा सौंपे जायेगा ।



858 कोषाध्यक्ष:

- 1- वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना ।
- 2- दोनक लेखों पर नियन्त्रण करना ।
- 3- पन्दा/शुल्क/अनुदान का विवरण प्रकाश कर खतौद देना ।
- 4- अन्य प्रवृत्त कार्य सम्पन्न करना ।

10- संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से खींचा होगा ।


- 818 पन्दा 828 शुल्क
- 838 अनुदान 848 पुष्पिष्ठन व पंजीयन राशी/प्रकाशन
- 858 सहायता 868 शण
- 878 राजकीय अनुदान 888 मा.वेद्य/वार्षिक
- 898 पेट्रोटी शी.

818 उक्त प्रकार से खींचत राशी विधी राश्ट्रीयकृत बैंक में खर्च/अथवा डाकडर में सुरक्षित की जायेगी ।

828 अध्यक्ष/सहासिव/कोषाध्यक्ष में से किन्हे दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन सम्भव होगा।

11- कोष सम्बन्धी पदाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय के आवश्यकता अनुसार पदाधिकारी संस्था को राशी एकमुश्त खर्च कर सकेंगे ।

- 818 अध्यक्ष- 20,000/- रुपये
- 828 सहासिव 8,000/- रुपये
- 838 कोषाध्यक्ष- 1,000/- रुपये



उपरोक्त राशी का अनुमोदन प्रवृत्तकारणों से कराया जायेगा जायजक होगा । कौशिक की नियुक्ति प्रवृत्तकारणों द्वारा की जायेगी ।

12- संस्था का उद्देश्य : संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक जाँक्षण कराया जायेगा ।

13- संस्था का विधान : संस्था के विधान में आवश्यकता अनुसार स्थापना तथा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से वार्षिक, पंचवर्षीय तथा संशोधन किया जा सकेगा, जो राजस्व-संशुद्धि-अनुदान तथा अन्य 1958 का धारा 12 के अन्तर्गत होगा ।

Handwritten signature and date: 20/11/14

मुन्देश कुमार

Handwritten signature and date: 20/11/14

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त फल व अफल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी, लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुस्यू होगी ।


21. संस्था के लेखे जोखे : रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जायेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान राजस्थान राजस्थानी कर्ज्युम्हें अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी § राकार्त § की सही व सच्ची प्रतिलिपी है।

1.01.2017
अध्यक्ष

A.K. Vishwak
महासचिव

हुमना कुमार
कोषाध्यक्ष



Rajsthani Consumers Awareness And Research Society "RACARS"

राजस्थानी कन्ज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी "राकार्स"

Pt Satya Narayan Sharma
State President
PHONE : 01423-35522

REGD. OFFICE:-
JOSHI ESTATE, O.B.S. ROAD,
GOVINDGARH (JAIPUR) RAJ

Ref

Date 23.06.2004

तुलनात्मक स्टेटमेंट

क्र.सं.	विधान की धारा सं.	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम नये नियम ।
1.	1 से 8 पूर्ववत	9 से 15	9 से 15 और जोड़े गये है ।

विधान की धारा सं. 1 से जो यथावत है :-

11। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा संरक्षण व हितों के लिए विभिन्न कार्यक्रम भीतिविधिओं आयोजन करना , योजनायें तैयार करना तथा उन्हें सहयोगी संस्थाओं के साथ अथवा स्वयं चियान्वित करना । उपभोक्ता संरक्षण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़े मुद्दों व विषयों पर

कार्य करना ।

12। उपभोक्ताओं या आम जनता के हितों के लिए विभिन्न संस्थान, समितियां, प्रकोष्ठ, जागृति व शिक्षा केन्द्र तथा समस्याधान केंद्रों की स्थापना करना । विभिन्न विषयों पर अध्ययन एवं सर्वे करना एवं रिपोर्ट तैयार करना एवं पत्रकारों प्रकाशित करना ।

13। पर्यावरण स्वास्थ्य जागृति जनशक्ति, बच्चे एवं बालकों, महिलाओं के विकास और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम और योजनायें तैयार करना । अध्ययन करना, साहित्य प्रकाशित करना और स्वयं अथवा सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से योजनाओं की चियान्वित करना ।

....2

सौजन्य से—राधामोहन मालवानी D 88, मनाज मग्डी, चांदरोल जयपुर 365892

विठ्ठलदास, प्रमोदकुमार गोविन्दगढ़ (जयपुर) 35580

A.K. Vastha

हुमेश कुमार

Rajsthani Consumers Awareness And Research Society "RACARS"

राजस्थानी कन्ज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी "राकार्स"

Pt Satya Narayan Sharma

State President

PHONE : 01423-35522

REGD. OFFICE:-

JOSHI ESTATE, O.B.S. ROAD,
GOVINDGARH (JAIPUR) RAJ

Ref

11211

Date.....

14। पुस्तकालय, दस्तावेज केन्द्रों, संदर्भ केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं जानकारी व सूचनाएँ उपलब्ध कराने के तन्त्र के अन्तर्गत कार्य करना, यदि जरूरी हो तो शासन प्रशासन व अन्य संस्थाओं को सुझान देना या उनकी मदद करना व आपसी समन्वय को बढ़ावा देना ।

15। समान उद्देश्यों हेतु नई संस्थाओं के गठन को प्रोत्साहित करना, विभिन्न सरकारी स्तर पर स्वयंसेवी समूहों को प्रेरित करना एवं अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध करना व आपसी समन्वय को बढ़ावा देना ।

16। उपभोक्ता हित में विभिन्न प्रयोगशालाओं, परीक्षण केन्द्रों की स्थापना करना । वस्तुओं का मानक तय करने में मदद करना, गोष्ठियाँ सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान व छुला मंच जैसे कार्यक्रम आयोजित करना ।

17। समान उद्देश्यों हेतु विभिन्न सरकारी स्तर पर कार्यवाही कर रही सरकारी व वैरकारी संस्थाओं का सहयोग करना उनसे सहयोग लेना राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं की व सरकारों से मिलकर कार्य करना उनसे सम्बद्ध होना ।

18। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं गतिविधियाँ करना उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम, वीरटी शो, पुस्तकार योजनाएँ आयोजित करना व अन्य संस्था व नागरिकों से आर्थिक सहयोग लेना ।

विधान में संशोधन किये गये नियम । नये नियम / उद्देश्य ।

19। पर्यावरण संरक्षण बालक, बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का प्रचार-

सोजन्य से—राधामोहन मालवानी D 88, अनाज मण्डी, चांदगोल जयपुर 365892

विठ्ठलदास, प्रमोदकुमार गोविन्दगढ़ (जयपुर) 35580

Rajendra

A.K. Verma

उत्कृष्ट सुभाष

Rajasthani Consumers Awareness And Research Society "RACARS"

राजस्थानी कन्ज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी "राकार्स"

Satya Narayan Sharma
State President
PHONE : 01423-35522

REGD. OFFICE:-
JOSHI ESTATE, O.B.S. ROAD,
GOVINDGARH (JAIPUR) RAJ

Ref

Date.....

|| 3 ||

प्रसार करना एवं इसके लिए विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षण संस्था व व्यावसायिक, प्रोफेशनल शिक्षण संस्थापित करना, नैतिक शिक्षा प्रदान करना, प्रौढ शिक्षण, साक्षरता/पूर्ण साक्षरता, उत्तम साक्षरता का कार्यक्रम चलाना एवं मानवोद्योग संरक्षण से संबंधित तमाम कार्यक्रम

1101 समाज के हित के लिए विविध विचारों पर राज्य/केन्द्र सरकार/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं व अन्य संस्थानों के सहयोग से आयोजन करना व समाज व हितों में मेडिकल संस्थान (स्थापित करना), मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज व इसके संबंधित अन्य प्रकार के संस्थान स्थापित करना।



1111 समाज के हितों में जनजागृति विचार लगाना, जनता में फैली कुरीतियों के संबंध में जनता को जागरूक करने एवं सरकारी/गैर सरकारी, राज्य/राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करना।

1121 कुटीर उद्योग धंधों के संबंध में संस्थापन स्थापित करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।

1131 महिलाओं / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना व सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन करना व इस हेतु जागृति विचार आयोजन करना व समाज में व्याप्त दुस्खीतियों को दूर करने व इसके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रकोष्ठ बनाना व इसके लिए

नीतियां बनाना व विभिन्न प्रकार की नीतियों/धाराएं संवाहित करना।

सौजन्य से—राधामोहन मालवानी D 88, ग्रनाज मग्डी, चांदरोल जयपुर 365892

विठ्ठलदास, प्रमोदकुमार गोविन्दगढ़ (जयपुर) 35580

... 4

[Handwritten signature]

A.K. Varshney

[Handwritten signature]

Rajasthani Consumers Awareness And Research Society "RACARS"

राजस्थानी कन्ज्युमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी "राकार्स"

Pt Satya Narayan Sharma
State President
PHONE : 01423-35522

REGD. OFFICE:-
JOSHI ESTATE, O.B.S. ROAD,
GOVINDGARH (JAIPUR) RAJ

Ref

11 4 11

Date.....

114। शीताहातिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण एवं लोक संस्कृतिक संरक्षण एवं विकास के क्षेत्र में कार्य करना।

115। महिला/विधवा/पारित्याक्ताओं/मंद बुद्धि के बालक-बालिकाओं व निःशुल्क जनो के विकास एवं बहुमुखी उन्नयन के लिये नये प्रकौष्ठ कार्यक्रम करना व इसके हेतु राज्य/अन्तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना। सहयोग प्रदान कर कार्यक्रम चलाना एवं इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार आदि का सहयोग प्राप्त करना करना एवं सहयोग प्रदान करना। विशेषतः नागरिकों के लिए आश्रम आदि की स्थापना करना, सरकारी/अर्ध-सरकारी/ एन.जी.ओ. आदि की सहायता प्राप्त कर स्थापित करना।



नोट: उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष *Satya Narayan Sharma*
सहायक अध्यक्ष *Ark. Vasanth*
सचिव *Ark. Vasanth*
कोषाध्यक्ष *Ark. Vasanth*
27/9/04

सौजन्य से - राधामोहन मालवानी D 88, अनाज मण्डी, चांदरोल जयपुर 365892
बिठुलदास, प्रमोदकुमार गोविन्दगढ़ (जयपुर) 35580

कार्यालय जिला कलक्टर करौली

क्रमांक/राजस्व/2011/

दिनांक:- नवम्बर, 2011

सम्परिवर्तन आदेश

राजस्थानी कन्ज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी राकर्स 22 पूनम विहार जगतपुरा जयपुर जरिये सचिव व कोषाध्यक्ष के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिभूति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषिक भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा सम्परिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार का नाम व पिता के नाम सहित पूरा पता	राजस्थानी कन्ज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी राकर्स 22 पूनम विहार जगतपुरा जयपुर जरिये सचिव व कोषाध्यक्ष
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनु० जनजाति का सदस्य है	नहीं
3.	सम्परिवर्तन भूमि का ब्यौरा	
	क	ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम
	ख	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
	ग	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये सम्परिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)
		ग्राम नन्दीपुर ग्राम पंचायत मांघडी तहसील टोडाभीम
		ख० नं० 359 रकबा 0.28 है०
		ख० नं० 360 रकबा 0.29 है०
		ख० नं० 359 रकबा 0.28 है० में से 2800 वर्गमीटर
		ख० नं० 360 रकबा 0.29 है० में से 2100 वर्गमीटर
4.	सम्परिवर्तन का प्रयोजन	शिक्षण प्रयोजनार्थ संस्थागत सम्परिवर्तन
5.	संदेय सम्परिवर्तन प्रकारों की दर	10 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से
6.	घालान की संख्या और तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम	घा.नं. 72 दि० 12.09.2011 राशि 24,975/रु० मद 0029 भू-राजस्व में। घा.नं. 73 दि० 12.09.2011 राशि 24,975/रु० मद 8448 में।
7.	घालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	नहीं
8.	घालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	नहीं
9.	क्या आदेश विनियमितीकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं
10.	अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो	1. राष्ट्रीय रोड कांग्रेस के मापदण्डानुसार सा.नि.वि. की रोड के मध्य से 50 फिट छोड़कर ही निर्माण किया जावे। 2. सम्परिवर्तन नियम 2007 के नियम 9(2) के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत (संलग्न) ले आऊट प्लान के अनुसार निर्माण कार्य किया जावे।

11. उपर्युक्त सम्परिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

- उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये भूमि संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर सम्परिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराई प्रीमियम धन राशि समपहृत हो जायेगी।
- नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये सम्परिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।
- कुल भूमि का 40 प्रतिशत भू भाग सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में आरक्षित रखा जावेगा।

—sd—
जिला कलक्टर
करौली

क्रमांक/राजस्व/2011/ 5426-31

दिनांक:- 25 नवम्बर, 2011

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- उप जिला कलक्टर टोडाभीम।
- तहसीलदार टोडाभीम को राजस्व रिकार्ड में आवश्यक प्रविष्टि हेतु।
- जिला राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा।
- सचिव, ग्राम पंचायत मांघडी पंचायत समिति टोडाभीम जरिये तहसीलदार टोडाभीम।
- सचिव राजस्थानी कन्ज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी 22 पूनम विहार जगतपुरा जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर


Receipt
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
SUB REGISTRAR OFFICE TODABHIM
TODABHIM
(RULE 75 & 131)
FEE RECEIPT


Fee Sr. No. : 2009000481
Presenter Name : GKKA
Presenter Address : MANNOL HALL, NATOL TKH. KATHUMAR
Document Type : Sale Deed (Conveyance deed)
Claimant Name : RACARS C/O RAMJEEVAN MAHA SACHIV, SAKARWADA
Document S.No. : 2009000876
Dated : 22/04/2009
Page Value : 9/4/0
Stamp Value : 7800

Ordinary Registration Fee	: 980	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 0
Translation Fee us/s 62	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 1180

Amount Rs. One Thousand One Hundred Eighty only


Cashier


Sub Registrar, TODABHIM

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

कार्यालय उपकोषाधिकारी
टोंडाभीम (जिला-करौली)

15 APR 2009

राजस्थान



श्रीमती



R.T. श्रीमती गीता



माया

R.T. श्रीमती माया

263721

Handwritten signature and stamp.

मुद्रांक 78000=00 रूपया

विक्रम: → खसगा नम्बर 359 क्षेत्रफल 0.2800 हेक्टर खसगा नम्बर 360 क्षेत्रफल

0.2900 हेक्टर मोग विना 0.2 मोग क्षेत्रफल 0.5700 हेक्टर का विस्थापन ग्राम नन्दिपुर
विक्रमपत्र तादादी 96000=00 रूपया के बदले 97470=00 रूपया

(1) श्रीमती गीता दुर्गा श्री अरती आहु 46 साल आरि खारी पेसा गृहकार्य निवासी
ग्राम मादौज तहसील टोंडाभीम जिला करौली हाल आकाद ग्राम नारोज तहसील
कडूमर जिला अलवर राजस्थान (2) श्रीमती माया दुर्गा श्री अरती आहु 35
साल आरि खारी पेसा गृहकार्य निवासी ग्राम मादौज तहसील टोंडाभीम

गीता



R.T. श्रीमती गीता

माया



R.T. श्रीमती माया

उप निवेदक
टोंडाभीम (करौली)

22/4/09 $\frac{1}{5000} + \frac{2}{2000} + \frac{1}{500} + \frac{3}{300} = \frac{7}{7800}$

660
 700
 5000
 22, पुनम विहार (जगतपुर) जयपुर
 ललिते रामजीम 46
 लोकावस्था
 विनाम

बजरंगलाल धर्मा
 मुद्रांग विभाग
 एड. टोडापीम जि. करौली (राज.)

रामजीम

व्याजित किया जाता है कि यह सब एक ही
 दिने प्रेषित... 7800... एड. के मुद्रा
 का एक मुद्रा... उसके
 स्थान में सेने...
 प्रयथा शक्ति... मुद्राओं के प्रयोग
 द्वारा समय की पूर्ति...

बजरंगलाल धर्मा
 मुद्रांग विभाग
 एड. टोडापीम जि. करौली (राज.)




उप. गंजीयक
 (करौली)



रामजीम



गंजीयक
 (करौली)



मुद्रांग



राजस्थान RAJASTHAN ^{पृष्ठ दो}

A 786430

कार्यालय उपकोषाधिकारी
टोडाभीम (जिला-करौली)
15 APR 2009
राजस्थान

जिला करौली हाथ आकाद गांव बालाहेड़ा तहसील बसाका जिला
दोहा राजस्थान विक्रीगीतण प्रकल्पक

द्वारे

राजस्थानी कन्जुमर्स अवेन्युमेन्स एण्ड प्रिचर्स सोसायटी, 22
बनाम बिलार जगतपुरा जयपुर जर्मि 11 श्री रामजीवन पुत्र श्री लीशालाल
आयु 55 साल जार्ने श्रीमती मेधा क्राइतकारी निवासी गांव सांवरगाड़ा
तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान महासाक्षि 12 श्री
मुकुंदा श्रीमती पुत्र श्री किरोड़ीलाल आयु 30 साल जार्ने श्रीमती देवा
शर्मा निवासी गांव फतेहपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
राजस्थान कोषाध्यक्ष केतापक (बितीपक)

विक्रम-पत्र

जो कि जमाकरी खेतोनी गांव नन्दीपुर परबत क्षेत्र महेंद्र बाड़ा
जीवा

माया



R.T. श्रीमती जीता

R.T. श्रीमती माया

660

22/4/09


क्रमांक: 10001
 राजस्थानी कन्वेंशन अवेन्यू लडीरसर्व सोसायटी
 22 शम विहार जगतपुरा जयपुर
 जयपुर राजकीय हाॅटेलीरालाव नीवा
 प साकेलाड
 पनामा



बजरंतलाल थर्मा
 मुद्रांक विभागा
 एड. टोडाभीम जि. हरीती (रावठ)

रामजीवग

आज दिनांक 22 माह April रान् 2009 को 13:23 बजे
 श्री/श्रीमती/सुत्री GEETA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DIHARATI
 उम्र 46 वर्ष, जाति KHAM व्यवसाय AGRI
 निवासी MANNOJ HALL NATOJ TEH. KATHUMAR
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया !



हरताथर परतुतकता (2009000978)
 (Sale Deed (Conveyance deed))
 हरताथर राप पजीयक, TODABHEEM

रसीद नं 2009000481 दिनांक 22/04/2009
 पंजीयन शुल्क रु 990/-
 प्रतिलिपि शुल्क रु 200/-
 मूद्रांकन शुल्क रु 0/
 अन्य शुल्क रु 0/-
 कपी रटाप शुल्क रु 0/
 कुल योग रु 1180/-

(2009000878) राप पजीयक, TODABHEEM
 (Sale Deed (Conveyance deed))



राजस्थान RAJASTHAN
 कार्यालय उपकोषाधिकारी
 टोंडाभीम (जिला-करौली)
 15 APR 2009
 राजस्थान

पृष्ठतीन

A 786431

वहमील रोड़ाभीम सम्बन्ध 2065 से 2068 में खाना शामिल
 संख्या 66 की भूमि खसमनम्बर 359 क्षेत्रफल 0.2800 हेक्टर खसमन
 नम्बर 360 क्षेत्रफल 0.2900 हेक्टर मोग क्षेत्र 0.2 मोग क्षेत्रफल 0.5700
 हेक्टर चाली प्रथम का मुताबिक जमाबन्दी एम विक्रीगीण का हिस्सा
 74 है। और इसी प्रकार एम विक्रीगीण उक्त भूमि के खातेदार
 काश्तकार हिस्सेदार तथा भौके पर बाबिज है। उक्त खसमन
 नम्बरान की भूमि में मुताबिक जमाबन्दी अपना सम्पूर्ण हिस्सा
 की भूमि का क्रेतापक्ष को मुवाबिके अंक 96,000 = 00 रूपया (शब्दों में
 सित्तरह हजार रूपया) उक्त प्रचलित मुदा में केवल उदात्त नकद
 प्राप्त कर कतई विक्रय करी है। और उक्त विक्रीत भूमि पर भौके पर
 एमारे स्थान पर काफई खोसाधरी का कब्जा कर दिना है। इसी
 खोसाधरी में उक्त खसमन नम्बरान का भी शब्द हिस्सेदार की धर्म
 में हिस्सा रूप क्रेता उसी में जाकर पर मिल गन है।

गीता

माया




R. T. 3 अतिरिक्त गीता

R. T. 3 अतिरिक्त माया

660 22/4/03

प्लॉट नं० 1000/एक एकर
प्लॉट का नाम रामश्यामी कन्जुमस डोमरनस एडरिसरस सोसायटी
प्लॉट का नं० 22, पुनग्र विहार जगतपुरा जयपुर
जग्गि रामजीम व० हीराबाब मीणा
प्लॉट का नं० 1-ताकवा
प्लॉट का नाम



बजरंगलाल शर्मा



मुद्रांक विहारा
सद० दोडापीम जि० करौली (राज०)


हरताहर फोटो अंगुला


सहज श्री/श्रीमती/मुश्री (Executant)
1-GEETA/BHARATI
Age:46, Caste-KHATI
Ocu.-AGRI
R/O-MANNOJ HALL NATOJ TEH. KATHUMAR
DIST.ALWAR





2-MAYA/BHARATI
Age:35, Caste-KHATI
Ocu.-AGRI
R/O-MANNOJ HALL BALAHEDA TEH. BASAWA DIST.
DAUSA





(And Claimant)
1-RACARS C/O RAMJEEVAN MAHA SACHIV/HEERA
LAL
Age:55, Caste-MEENA
Ocu.-AGRI
R/O-SAKARWADA


2-RACARS C/O MUKESH MEENA/KINODI LAL
Age:30, Caste-MEENA
Ocu.-AGRI
R/O-FATEHPUR






ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed)
को पढ़ चुन व समझकर निम्नादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू० 97470/- पूर्व में/मेरे
समक्ष/मे से रू० 97470/- पूर्व में _____
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निम्नादन कर्ता की पहचान
1. श्री/श्रीमती/सुश्री HARI MOHAN
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURAJ MAL उम 45 वर्ष
जाति MEENA व्यवसाय AGRI
निवासी BALAHEDA TEH. BASAWA






उप राजावक
दोडापीम (करौली)



पृष्ठचार

कार्यालय उपकोषाधिकारी
दंडाभौम (जिला-करोली)
15 APR 2009
राजस्थान

अब उक्त विक्रीत भूमी के आज तक जो स्वामित्व
आधिकार हम विक्रेतागण के प्राप्ति हैं। के ली समस्त स्वामित्व
आधिकार आज से ही क्रेतापक्ष के प्राप्ति हो चुके हैं। व इसी तारीख से
उक्त विक्रीत भूमी का हम विक्रेतागण के स्वतंत्र पर कृपा वामा
जोड़े नामान्तरकरण क्रेतापक्ष अपनेपक्ष में खोलेगी तबसे कर्तव्य का
आधिकार होगा। अतः हम समस्त स्वामित्व की जोड़े का उन्मूलन
हम विक्रेतागण का होगा।

विक्रय विक्रीत भूमी: → इस विक्रयपत्र का मूल्य किता 2 दोस्र बीघर 5700
हेक्टर चारी प्रकृत का हिस्सा 1/4 (एक बीघर चार) ग्राम नन्दीपुर का तस्मानना
किता जा रहा है। विक्रीत भूमी में कोई कुंजा दूध के ल कोरिंग काल
इसारी एक एक किस्ती प्रकार का निर्माण नहीं हो रहा है। भूमी की
पिछाई किराये का पानी लेकर लेती है। भूमी आकादी संलग्न 01। 12। 13।

गीता

साया



R.T. 1
श्रीमती गीता

R.T. 1
श्रीमती साया

660 22/4/03
 2
 500
 राजधानी कन्वेंशन एसेम्बली एडमिनिस्ट्रेशन
 इ. प्रेम सिंह सतपुरा जयपुर
 बरिबे रामजीधर हा. 0. राधाक मीना
 लोकपाल
 पनामा

[Handwritten Signature]

बजरंगलाल धर्मा
 मुद्रांक विभाग
 ए. टोडाधीम वि. हरीली (राज.)

[Handwritten Signature]

हरतादार कोटी अगुता

2- Jijheri Chhagan CHANDAN
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JUHAKI LAL उम्र 50 वर्ष
 जाति MEENA व्यवसाय AGR
 निवासी MOHANPUR ने की है जिनके

समस्त हरतादार एवं अगुता के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2002000076)
 (Sale Deed (Conveyance deed))

[Handwritten Signature]
 उप (उजियक, TODABHEEM



राजस्थान RAJASTHAN
 कार्यालय उपकायाधिकारी
 टांखापीप (जिला-करौली)
 8 APR 2009
 राजस्थान

G 410960

पुलमांच
 इसी पर स्थित है। इस गांव में औद्योगिक कारीजब प्रविष्टान
 शकं नगरपालिका नहीं हैं। छोटी सड़क के सहारे स्थित हैं। इस
 गांव में इस प्रकार की भूमि की प्रचालित दर 684000 = 00 रूपया
 प्रति एकड़ है। विक्रीत भूमि का प्रस्तावकन 97470 = 00 रूपया होता है।
 समस्त भूमि कायत के उपयोग में आ रही है।

अतः यह विक्रम-पत्र हमने हमारी राजी खुशी
 लोभ हवाइ दुकस्ती स्वस्थ चित स्थिर भुक्ति की उपस्था में बिना किसी
 विवाद का आग्रह के आज दिनांक 22 अप्रैल सन् 2009 ई. में 78000 = 00 रूपया
 मात्र बिना Non Judicial stamps पर केतापहा के शर्तों पर सदेव प्रामाण्य

गीता


 R.T.J.
 श्रीवती जीता

माया


 R.T.J.
 श्रीवती माया

22/4/09
 660
 अंक 100 एक ही
 देता का नाम राजस्थानी क...
 पुराना विहार (जयपुर) जयपुर
 ज... रामजीवन ध...
 ल...
 प...
 प...
 प...


बजरंठालाल थर्मा
 मुद्रांक विक्रेता
 पट्टा टोबाभीम नि. करौली (राज.)


 रामजीवन

आज दिनांक 22/04/2009 को
 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3
 में पृष्ठ संख्या 192 कम संख्या 20090000592 पर
 पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 12
 के पृष्ठ संख्या 191 से 197 पर
 चस्था किया गया।


 (20090000878) सप पजीयक TODABHEEM
 (Sale Deed (Conveyance deed))



राजस्थान RAJASTHAN घुट्टकः

G 410961

कार्यालय उपकोषाधिकारी
 टोडाभीम (जिला-करौली)
 8 APR 2009
 राजस्थान

प्रत्येक लेखक (क.०.१) १२७ तहसील टोडाभीम हात तहसीर
 इलाकर तहसील कड दिना र्का प्रमाण रहे। और आवश्यता
 के सुमन काय आवे। नोट ॥ यह आलेख कही भी सांठिगदल नहीं
 है। (२) यदि अविद्यत से इस इस्तावेज से छाप जाते अस्तम
 अथवा उपहनीत हो जाने की कसिदति से पंजीयन विभाग की बोर्ड जिम्मेवारी
 नहीं होगी। दिनांक 22.04.09

इस्ताकार विक्रेतीगण (१) गीता
 R. T. D.
 श्रीमति गीता

(२) साया
 R. T. D.
 श्रीमति साया

इवत कद शुभा-सादी पर में दे पर सोसाधरी के लिए कडजा ९२ किना है।

इस्ताकार क्रेतापद
 महासचिव राजनिका
 सोसाधरी
 R. T. D.
 राजजीवन शीगा

द्वय शर्मा
 टोडाभीम (करौली)



राजस्थान RAJASTHAN प्रहसन

G 410962

कार्यालय उपकोषाधिकारी
 टोंडाभीम (जिला-करौली)
 8 APR 2009
 राजस्थान

हस्ताक्षर दोपारदमका
 सोमनाथी



 मुवेका

जकार ॥ हरिप्रोहन

हरिप्रोहन पुत्र श्री सुरजप्रताप आहु 45 साल आति श्रीगा देवा काकर
 निवासी ग्राह कापतेडा तहसील वसवा जिला दोसा

जकार ॥ चन्दन

चन्दन पुत्र श्री जौहरीलाल आहु 50 साल आति श्रीगा देवा काकर
 निवासी मोहनपुर तहसील टोंडाभीम


 उप प्रजीयक
 टोंडाभीम (करौली)

राजस्थान गुण्डा डारराइल
 बा. न. 1/77 रजि. न. 65
 दिनांक 22.04.09 विचार 60=00
 रा. टोंडाभीम विभा टोंडी

660 22/4/03

अंशका-
वर्गक संख्या- 100 स्केली
वेला का नाम- राज श्यामी कन्जुमल अमेमलैम लडरिधर्व कोसाथरी
पता- 22, प्रथम विहाट जगतपुरा प्रथपुर
जसिमे रामजी कि 10 हीराबाब जीवा
संख्या- सांकरवाय
नाम- वी नामा

वजरंगलाल शर्मा
मुद्रांक विवेता
140 दोहाभीम वि० करीवी (राजक)

रामजीवन



मुद्रांक विवेता
दोहाभीम वि० करीवी (राजक)

receipt

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
SUB REGISTRAR OFFICE TUDABHIM
TUDABHIM
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT


Fee No. : 2009000417 Dated : 30/03/2009
Presenter Name : KADHE Face Value : 97470
Presenter Address : MANNOJ
Document Type : Sale Deed (Conveyance deed)
Claimant Name : KAKAS, JAIPUR JAKIYE RAMJEEVAN, SAKARWADA
Document S.No. : 2009000790 Stamp Value : 7800

Ordinary Registration Fee	: 900	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 0
Translation Fee u/s 62	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 1100

Amount Rs. One Thousand One Hundred Eighty only


Cashier


Sub Registrar, TUDABHIM

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

कायालय उपकीर्षाधिकारी
टोडाभीम (जिला-करौली)

26 MAR 2009

राजस्थान



जीवन
(करौली)




जीवन
(करौली)



263697

ल.स.
राजस्थान



ल.स.
उपकीर्षाधिकारी

मुद्रांक 7800=00 रुपया

ल.स.
उपकीर्षाधिकारी

सारांश विक्रम:-> खसरा नम्बर 359 क्षेत्रफल 0.2800 हेक्टर खसरा नम्बर
360 क्षेत्रफल 0.2900 हेक्टर मोग क्रमा 2 मोग क्षेत्रफल 0.5700 हेक्टर-चारी
प्रकृत का सिम्हा 1/4 ग्राम नन्दीपुर विक्रम तारादी 95000=00 के बदले 97470=00

साधे पुत्र श्री रामसहाय आयु 62 साल जाति खाती देवा काष्ठकारी
निवासी ग्राम मान्द्रौज तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान विवेता

उप-जीवनिक
टोडाभीम (करौली)
प्रथमपक्ष

शान्ति
शान्ति शर्मा

ल.स.
राजस्थान



कार्यालय
टांडाभीम (जिला-करोली)
26 MAR 2009
राजस्थान

पुष्टदे

राजस्थानी कन्जूमर्स अवेपरनेस एण्ड रिचर्स सोसायटी

22 पूनम बिहार, जगतपुरा जयपुर राजस्थान जारिमे (1) श्री

रामजीवन मोठा पुत्र श्री हीरालाल पटेल आयु 52 साल जारि मीणा
निवासी ग्राम सांकरवाडा तहसील टांडाभीम जिला करोली राजस्थान
महासाक्षी सोसायटी (2) श्री मुकेश मीणा पुत्र श्री किरोड़ीलाल आयु
30 साल जारि मीणा निवासी ग्राम कतेहपुर तहसील टांडाभीम जिला
करोली राजस्थान कोषाध्यक्ष सोसायटी केतागण (बितीमपडा)

विक्रमपत्र

जे. वि. जमाबन्दी खतोनी ग्राम नन्दीपुर तहसील टांडाभीम सम्वत्-
2065 से 2068 से खता ग्रामलाती संख्या 66 की आपी खसामाकर

राजस्थान



10316 30/3/09

क्रमांक संख्या: 500/पोच/म


देता का नाम: राजश्री कन्जूमर्षी उषेयलैठ

पिता का नाम: एड लिखच मोठावही 22, रूमम विहार

वास्तु: जगतपुरा भयपुर (अरिजे रामजीवन मीठा 80 वीरालखजीठा)

निवासी स्थान: लोकराडा

पनामा


राजेंद्रलाल थकुर
/ मृदांक विहारा
एड टोबाभीम जि० करोली (राज०)

राजश्री कन्जूमर्षी

आज दिनांक 30 मार्च March सन् 2009 को 16:27 बजे
श्री/श्रीमती/पुत्री RADHE पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM SAHAY
उम्र 62 वर्ष, जाति KHAM व्यवसाय AGRI
निवासी MANNOJ
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज गंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

राजश्री कन्जूमर्षी



हरतादाए परततकता (2009000790)
(Sale Deed (Conveyance deed))
हरतादाए सप पजीयक, TODABHEEM

रसीद नं 2009000417 दिनांक 30/03/2009
गंजीयन शुल्क रु० 990/-
प्रतिलिपि शुल्क रु० 200/-
मृदांकन शुल्क रु० 0/-
अन्य शुल्क रु० 0/-
कमी रटाप शुल्क रु० 0/-
कुल बांय रु० 1180/-

(2009000790) सप पजीयक TODABHEEM
(Sale Deed (Conveyance deed))



कार्यालय उपकोषाधिकारी
टोंडाभीम (जिला-करौली)
26 MAR 2009
राजस्थान

पृष्ठतीन

359 क्षेत्रफल 0.2800 हेक्टर खसम नम्बर 360 क्षेत्रफल 0.2900
हेक्टर प्रोग क्रिसा 02 प्रोग क्षेत्रफल 0.5700 हेक्टर-पानी प्रकम

का तुलादिक जमादनी मुक्त विक्रेता का हिस्सा 1/2 (एक टुकड़ा) है।
और इसी प्रकार में विक्रेता उक्त खसम नम्बरान की भूमि का
खोतेदार काबजदार हिस्सेदार तथा भौंडे पर काबिज है। उक्त खसम
नम्बरान की भूमि के मुक्त विक्रेता के हिस्सा पर कोई प्रकम कर या
अन्य प्रकार काकाया नहीं है। समस्त प्रकार के भार एवं अगड़ी से
रहित है। उक्त खसम नम्बरान की भूमि का मुक्त विक्रेता को अपना
हिस्सा की भूमि का विक्रम करने का पूर्ण आधिकार है। धार
मेरे पूर्व के सहभागीदार श्री रामरुप उग्र जोहरी + अपना हिस्सा 1/2

राधा कृष्ण



10316

30/3/09

श्री

3

श्री

5001 पांचवी

श्री

राजस्थानी क-ग्रूमर्स उच्चतर नैदानिक रिसर्च सोसायटी

श्री

22, इनम विहार जगतपुरा जयपुर

श्री

जरिये रामजीवन मीणा 80 बीरगंज मीणा

श्री

प तांकुवाडा

श्री

पनाभा

[Signature]

बजरंगलाल धर्मा

मुद्रांक विहारा

एच० टोडापीथ बि० करोवी (पाच०)

[Signature]

हरताहर

फोटो

अमृत

उत्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)

1-RADHE/RAM SAHAY

Age:62, Caste-KHATI

Ocu.-AGRI

R/O-MANNOJ

[Fingerprint]

[Signature]

(And Claimant)

1-RACARS : JAIPUR JARIYE RAMJEEVAN/HEERA LAL

Age:52, Caste-MEENA

Ocu.-AGRI

R/O-SAKARWADA

[Signature]

[Fingerprint]

2-RACARS , JAIPUR JAKIYE MUKESH MEENA/KIRODI LAL

Age:30, Caste-MEENA

Ocu.-AGRI

R/O-FATEHPUR

[Fingerprint]

[Signature]

ने लेखपत्र Sale Deed (Conveyance deed)

का पढ सून व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशी रु० 97470/- पूर्व में/मेरे

समक्ष/म से रु० 97470/-पूर्व में _____

यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उपरोक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री / श्रीमती / सुश्री SHYONARAYAN

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LOHADERAM उम्र 50 वर्ष

जाति MEENA व्यवसाय AGRI

निवासी FATEHPUR

[Signature]

[Fingerprint]

2. श्री / श्रीमती / सुश्री SHRIMANI AI

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KISHORI LAL उम्र 40 वर्ष

जाति MEENA व्यवसाय AGRI

निवासी MACHADI ने की है जिनके

[Signature]

[Fingerprint]

[Signature]

टोडापीथ (करोवी)



कायलव उपकाधिकारी
टोडाभीम (जिला-करौली)
26 MAR 2009
राजस्थान

प्रबन्ध

कायलव उपकाधिकारी टोडाभीम (जिला-करौली) के कार्यालय में दिनांक 25.02.09 को पुस्तक संख्या 01 जिल्ला संख्या 02 पृष्ठ संख्या 112 क्रम संख्या 312 पर दर्जित हो चुका है। इस प्रकार केतागण में सहभागीदार बन गए हैं। इस कारण सुविधाओं से हाथ से मुक्त विक्रेता में उक्त होने स्वयंसेवा निकाय की शर्त में अपना सम्पूर्ण विक्रय की शर्त के केतागण वितीतपत्र के मुबालिगा अंश 95000=00 रूपय (शतकी में पिन्धानवे हजार रूपय) चुकती प्रचालित मुद्रा में केका अदाकत नकद प्राप्ति कर करत विक्रय करती है। और उक्त विक्रीत शर्त पर मौके पर मुक्त विक्रेता के स्थान पर

रा.प्र. 2/2009

(स.स.)
रा.प्र.

103/6

30/3/09

पुस्तक संख्या 3

राजस्थानी कानून मंत्रालय अमेय नगर रोड टिखर सोलाभी

22, इनम विहार जगतपुरा जयपुर

जसिधे रामजीवन मीठा 810 सीएसआर मीठा


प सक्काडा
पनामा

बजरंगलाल थर्मा

मुद्रांक विक्रेता

पह० टोबाभीम बि० करोवी (पह०)

रामजीवन



आज दिनांक 30/03/2009 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3
में पृष्ठ संख्या 127 कम संख्या 20090000527 पर
पंजीबद्ध किया गया तथा जपिरियत
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 11
के पृष्ठ संख्या 104 से 112 पर
चस्पा किया गया।

(20090000790) सप पजीयक TODABHEEM
(Sale Deed (Conveyance deed))




कायस्थ उपकाराधिकार
दोहाभूम (जिला-करौली)
26 MAR 2009
राजस्थान

पृष्ठपांच

नाफई क्रैतागण का कबजा नश दिवा हें। विक्रीत हिस्सा क्रैतागण के पूर्व बे हिस्सा न जाकर मिल गमा हें।

उक्त उक्त विक्रीत भूमी के आज तक जो स्वामित्व आदीदार मुक्त विक्रेता का प्राप्त हें। वे ही समस्त स्वामित्व आदीदार आज से ही क्रैतापत्र का प्राप्त ले चुके हें। व इसी तारीख से उक्त विक्रीत भूमी का मुक्त विक्रेता के स्थान पर काला काला जरिदगी नामान्तरकरण क्रैतापत्र अपने पक्के न खोतेदारी तबदील कराने का आदीदारी होगा। भविष्य में समस्त स्वामित्व की बुद्धि का उत्तरदायित्व मुक्त विक्रेता का होगा।


उप राजीवक
दोहाभूम (करौली)

शाम 2200



(...)
शाम

दिनांक - 10/3/16 30/3/03

पत्रिका क्रमांक - 9

पत्ता - राजस्थानी क. भूमि असेसमेंट एंड रिवर्य सोसायटी

पत्ता - 22, प्रेम विहार जगतपुरा जयपुर

नाम - जसिने रामजीवन मीठा ब. लीरालाल

पता - साककोडा

पता - वेनामा

[Handwritten signature]

रामजीवन

बजरंगलाल शर्मा
मुद्रांक विहारा
एड. टोबाभीम बि. करोवी (पब्लि)

[Faint rectangular stamp or box with illegible text]






कार्यालय उपन्यासिकाय
रोडाभाम (जिला-करौली)
20 MAR 2009
राजस्थान

पूजा घर

विक्रम निम्न:-> इस विक्रमपत्र द्वारा दिनांक 02 दोग अक्टूबर 2008

द्वारा चर्चा प्रक्रम का विस्था 74 ग्राम नन्दीपुर परकर क्षेत्र महन्दा
का हस्तान्तरण किया जा रहा है। विक्रीत भूमि में कुल 5 एकड़ क्षेत्र
द्वारा इमारती छुड़ा एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो रहा है।
भूमि की फील्ड का पानी लेकर होती है। भूमि आकार में
लगभग 01 बी.सी. रोडाभाम में बाबूदास आकाशम ही सड़क के
सहारे स्थित है। इस ग्राम में औद्योगिक वाणिज्य प्रारंभ एवं
भारतवाले नहीं है। इस ग्राम में इस प्रकार की भूमि की प्रचालित दर
(84000/-) रुपया प्रति एकड़ में हस्तान्तरित भूमि का मूलमांक 9247000
रुपया होता है। वर्तमान में भूमि बाजार के उपयोग में आ रही है।


उप न्यासिका
रोडाभाम (करौली)

बाबूदास



6733
राज्य

10316 30/3/09

કચ્છક પત્રક ૨૫૦૧ પૈ-વસી

જાનરૂબાની કબજીમલ અલેયરનેશ લડીલચર્ક ભોલાચર્કી

૨૨ સનમ વિહાર બગલપુરા બચપુરા

બાલુ જરિયે રામલીમ મીળા શંહીરલાલ

૫ સંવકરવાચ

વનામી

રામલીમ

બજરંગલાલ શર્મા

મુદ્રાક વિહેતા

શંહીરલાલ શર્મા (પાલ)

સંવકરવાચ
૨૫૦૧ પૈ-વસી
૨૨ સનમ વિહાર
બગલપુરા બચપુરા



राजस्थान RAJASTHAN

G 410734



पृष्ठसंख्या

अंतः प्रह विक्रम पत्र में न मेरी राजी खुशी हो क हवास
दुस्ती स्वयं चिन्तित म्मि 2 गुह की अवस्था में किना दिस्ती

दवाव का आग्रह के आज दिनांक 30 मार्च 2009 ई. को 7800=00

मपले हे ने किना NON Judicial STAMPS पर क्रेतापत्र के रक्के पर

राधे प्रताप गुप्ता प्रलेख लेखक (क.व. 1/77) सहस्रीलक शंशाभीम वशि

वहरीर काकर तकमीलक कर रिमा की प्रमाण रहे । और आवकपत्र

के सुप्रम वाप आवे नरे ॥ यह आलेख कहीं भी सांकेयकवर्ती है । (2)

पाई भविष्य में इस दस्तावेज की धामा प्रति आग्रह आदवा अपठनीय

राधे प्रताप

डिप्टी न्यायाधीश
टोंक (करीली)



10316 30/3/09

~~1000~~ 9


1001 एकसि


राजस्थानी कन्सल्टिंग अवेयरनेस एड

स्थिति सोसायटी 22, शमसिंह नगर जयपुरा (जयपुर)

जयपुरा रामजीवन मीठाखाना

बोकावाडा


के नामा




कजरलाल धर्मा
मुद्रा विभाग
रा. टी.पी. वि. वरीची (पच)



G 410735



पृष्ठ 32

हो जान की स्थिति में पंजीयन विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिनांक 30.3.01

हस्ताक्षर विक्रेता राधा 22/3/17



राधा

हमने आपके राजस्थानी कन्जुमर्स आवेयरनेस ग्रुप रिचर्स सोसायटी जयपुर 22 फूलम विहार जगतपुरा जयपुर के लिए बैंक पर बकाया 62 लिया है।

हस्ताक्षर महाशक्ति 11,

राधिका



राधिका

उप निरीयक
टोटाभाय (कौली)

हस्ताक्षर कोटादेव 11,



मुबेनापीला

10316 3/3/09
9

राजस्थानी कन्जुमर्स असेसमेंट्स एंड
रिजर्व सोसायटी इर, शम विहार लजपुरा जयपुर

जसिये रामजीवन मीनाधीराला

प सांकणवाडा

प नामा

राजजीवन

अजरंगलाल शर्मा
मुद्रांक विभाग
बडोदाधीन वि० करोधी (राज०)





सजस्थान RAJASTHAN
 कार्यालय उपकोषाधिकारी
 टोडाभौम (जिला-करौली)
 19 MAR 2009
 राजस्थान

पृष्ठ नं०

G 410736

राज्ये ५४. ३०. ६. ३०. शण्ड रिचर्ड मोहावरी जयपुर
 विक्रम-५३

जकाह ११, शोभा १५५१

शोभाशरण जी की लोहोनाम आयु ७० साल जाति मीणा देवा कुमरि बार्
 निवासी गांव फतेरपुर तहसील टोडाभौम

जकाह १२, श्रीमल लालाजी

श्रीमलाला जी की किकोरीलाल आयु ५६ साल जाति मीणा देवा
 काष्ठकारी निवासी गांव टोडाभौम तह. टोडाभौम

उप न्यायिक
 टोडाभौम (करौली)

राधेश्याम गुप्ता डोंडराइज
 बा. न. १/७७ रजि. न. ५५
 पिनकोड ३०३०१६ विधाई ६०
 रा. टोडाभौम विधा टोडाभौम

10316 30/3/09

~~1000~~ 1000 एका

राजस्थानी कन्स्यूमर्स असेसमेंट
एडव्होकेट रिवर्च सोसायटी 22, राम विहार
जयपुर जयपुर जयपुर रामजीवन भीठावली लखाल

प संख्या
वनामा

राजमल शर्मा
मुद्रांक विभागा
वृद्ध टोबापीय वि० करोवी (पच०)

रामजीवन

क्र.सं.	दिनांक	विवरण

receipt

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
SUB REGISTRAR OFFICE TUDABHIM
TUDABHIM
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2009000253
Presenter Name : RAMROOP
Presenter Address : MANNOL

Dated : 25/02/2009
Face Value : 194940

Document : Sale Deed (Conveyance deed)
Claimant Name : R. ACARS JAYPUR C/O RAMJEWAN, SAKARWADA
Document S.No. : 2009000467
Stamp Value : 15600

Ordinary Registration Fee	: 1950	Commission Fee	: 0
Copy/Seating/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 0
Translation Fee us/s 62	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 2150

Amount Rs. Two Thousand One Hundred Fifty only



राजस्थान RAJASTHAN

263680

मुद्रांक 15600/= रुपया मात्र

कार्यालय उपकोषाधिकारी
टोडाभीम (जिला-करौली)

19 FEB 2009

राजस्थान

विक्रय पत्र 194000/=रुपया के बदले 194940/= रुपया मात्र

=====

प्रसंग:- ग्राम- नंदीपुर में खरत नम्बर 359 , 360 , कुल कितता

02 कुल रक्वा 0.57 है0 का हिस्सा 1/2 भाग रु एक बटा दो भाग रु


सडक के पास का बेचान 1 रु विक्रित रक्वा 0.28.5 है0 रु

रा म रु प आयु 60 साल पुत्र श्री जौ हरी जाति- खाती

निवासी- मान्नाज तहसील -टोडाभीम जिला- करौली राज0 रु


हिस्सा 1/2 भाग विक्रेता - प्रथम पक्ष - । पेसा. रु 500
कृ०पृ०30


हर वैजयिक
टोडाभीम (करौली)




(रा.)
रा म रु प
रा म रु प


3674 25/209
 5
 राजस्थानी कन्ज्यूमर्स अन्ड गेनेरल स्टोर्स प्रा. लि.
 जगतपुरा जयपुर जयपुरा मन्डी वन हाईरिवाला
 मीठा
 भोक्साडा
 बाना


राजेंद्रलाल शर्मा
 मुद्रांक पिन्नेता
 एड. टोबाभीम बि. हरोधी (राज.)




आज दिनांक 25 मार्च February सन् 2009 को 15:39 बजे
 श्री/श्रीमती/सुत्री RAMROOP पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JOHARI
 उम्र 60 वर्ष, जाति KHAI व्यवसाय AGRI.
 निवासी MANNOJ
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।





हरताक्षर प्रतकता (2009000467) हरताक्षर रूप पंजीयक, TODABHEEM
 (Sale Deed (Conveyance deed))

रसीद नं० 2009000253 दिनांक 25/02/2009
 पंजीयन शुल्क रु० 1950/-
 प्रतिलिपि शुल्क रु० 200/-
 मूल्यांकन शुल्क रु० 0/-
 अन्य शुल्क रु० 0/-
 कमी रटाप शुल्क रु० 0/-
 कुल योग रु० 2150/-


 (2009000467) रूप पंजीयक, TODABHEEM
 (Sale Deed (Conveyance deed))



कार्यालय उपकोषाधिकारी
श्री राजस्थान राजस्थान
FEB 2009
राजस्थान

263682

पेज नं० 3

करौली जिला सन्वत् 2065 से 2068 तक के मुताबिक खाता संख्या- 66 में

खरत नम्बर 359 रकवा 0.28 है खरत नम्बर 360 रकवा

0.29 है कुल कितना 02 कुल रकवा 0.57 है चाही- । का हिस्सा

1/2 भाग एक बूटा दो भाग का मैं प्रथम पक्ष खातेदार काशतकार हूँ

जो सभी प्रकार के विवादों से मुक्त है जिसको हर प्रकार से हस्तान्तरण

करने का मुझे पूर्ण अधिकार है ।

चूँकि: अब मुझे प्रथम पक्ष को अपनी धरतु जरत के वास्ते रुपयों की -

कृप० 30

राजस्थान
राजस्थान

3674

25/2/09

5
 5000
 राजस्थानी कर्मचारी क्षेत्रीय परिषद का सचिव
 जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर
 मीना
 सोहन लाल
 मन्नाज

[Signature]

समस्त राजस्थानी कर्मचारी क्षेत्रीय परिषद
 पुराण विभाग
 जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर

[Signature]

समस्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
 1-RAMROOP/JOHARI
 Age:60, Caste-KHATI
 Occu -AGRI
 RIO-MANNOJ

(And Claimant)
 1-R.ACARS JAYPUR C/O RAMJEWAN /HEERA LAL
 Age:52, Caste-MEENA
 Occu.-AGRI
 RIO-SAKARWAUA

2-R.ACARS JAYPUR C/O MUKESH
 FATEHPUR/KIRODILAL
 Age:30, Caste-MEENA
 Occu.-AGRI
 RIO-FATEHPUR

ये लेखपत्र Sale Deed (Conveyance deed)
 को यह चुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
 प्रतिफल राशी रु० 194940/- पूर्व में/मेरे
 समक्ष/मे से रु० 194940/-पूर्व में
 समझे समझ प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
 1. श्री / श्रीमती / सुश्री PYAR SINGH MEENA
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GANGADHAR उम्र 50 वर्ष
 जाति MEENA व्यवसाय SERVICE
 निवासी MANNOJ

2 श्री / श्रीमती / सुश्री DHANRAJ MEENA
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RONARAM MEENA उम्र 38 वर्ष
 जाति MEENA व्यवसाय AGRI
 निवासी DHAHARIYA TEH. NADOTI ने को है जिनको

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ के निशान मेरे समक्ष विरोध नहीं है

हरताक्षर	फोटो	अंगुष्ठ
रामरूप		
रामजीवन		



कार्यालय उपकोषाधिकारी
टोडाभीम (जिला-करौली)

12 FEB 2009

राजस्थान

पेज नं० 4

जूरत है इसलिये मैंने अपनी स्वेच्छा से जिला-करौली की

तहसील-टोडाभीम में स्थित ग्राम-नंदीपुर में खाता संख्या- 66 में से -

खसरा नम्बर 359 रकबा 0.28 है०, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.29 है०,

कुल रकबा 02 कुल रकबा 0.57 है० का हिस्सा 1/2 भाग - 1/2 एकबटा-

दो भाग 1/2 हिस्सा बालघाट रोड के पास को विल एवज -

मुबलिंग 194000/= रुपया शब्दों में एक लाख चौरानवे हजार रुपया में -

द्वेता- 1/2 द्वितीय पक्ष 1/2 के हक में कतई विव्य कर दिया है और

1/2 द्वितीय पक्ष 1/2 से सारी रकम प्रचलित मुद्रा में प्राप्त कर विव्य की गई

भूमि पर द्वितीय पक्ष को कब्जा संभला दिया है जिस पर मुझे ता -

केस्थान पर द्वितीय पक्ष को जरिये नामान्तरण अपना नाम दर्ज -

(स) रामराम रामराम

कृ०पृ०३०

3674 25/2/09

संख्या
मूल्य
प्राप्त
दिनांक
स्थान

5
500 पांच सौ
राजस्थानी कृष्णमूर्ति अवेभरैस एडवोकेटस एंड सॉलिसिटरस
जगतपुरा जयपुर जिले राजस्थान 360 001
मीठा
सोकसाय
खिनावा

बजरंगलाल थर्मा
मुद्रांक विक्रेता
वह • टोडाभीम जि • करोली (राज०)

आज दिनांक 25/02/2009 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2
में पृष्ठ संख्या 112 कम संख्या 20009000312 पर
अभिमत किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 7
के पृष्ठ संख्या 50 से 55 पर
बिस्पा किया गया।

(20009000487) उप पंजीकृत TODABHEEM
(Sale Deed (Conveyance deed))



राजस्थान RAJASTHAN
कार्यालय उपकाराधिकार
टोडाभीम (जिला-करौली)
12 FEB 2009
राजस्थान

श्रुतेजनं 058

G 410395

करवाने का पूरा अधिकार प्राप्त हो गया है। विक्रय की गई भूमि से

अब मुझ विक्रेता व मेरे किसी भी वारिस का कोई सम्बन्ध शेष नहीं

रह गया है। विक्रय की गई भूमि के बावत क्रेता पक्ष को समस्त-

अधिकार स्वामित्व प्राप्त हो गये है। भविष्य में स्वामित्व सम्बन्धी समस्त श्रुतियों की

पूर्ति करने का दायित्व मुझ विक्रेता पक्ष का होगा।

विक्रय विक्रय की गई भूमि:- इस विक्रय - पत्रणमें ग्राम- नुदीपुर में ख 0 नं 0

359 , 360 किता 02 कुल रकबा 0.57 है 0 का हिस्सा 1/2 भाग 8 एकबटा दोभाग 8 टोडाभीम से बाघाट रोड के किनारे पर बेचान किया गया है। जिसमें किसी

भी प्रकार का सिचाई का साधन आवासिय निर्माण इमारती व प, लदार वृक्ष नहीं है।

विक्रयकी गई भूमि सडक के किनारे पर है तथा ग्राम- नुदीपुर की आबादी से 01 कि 0 मी 0

दूर है। इस ग्राम में इस प्रकार की भूमि की प्रचलित दर 684000/= रुपया प्रति है कि-

टोडाभीम (करौली)



(रज. श्रुतक)

रामराम

कृ 0 प 0 3 0

रचना 3674 25/2/09

पत्रांक 5

श्री. का नाम राजेश्वरी क. जमुमहल डिप्टी मन्डल एडमिशन सेल

पता का नाम जयपुरा जयपुर जिला राजस्थान

श्री. का नाम गीता

पता का नाम लोखरवा

पता का नाम केनाला

बजरंगलाल धर्मा

मुद्रांक विज्ञेता

पु. टोबापीम बि. करोली (राज.)

x *पेज नं 0 की वर से विषय की गुरु भूमि का ल्यांकन 194940/= रुपया बनता है ।

अतः यह विषय - पत्र होने अपनी राजी खुशी वैसे हवात बिना किसी न्यौ पते के
क्रेता पक्ष के खर्च पर वर रुटा म 15600/= रुपया के एन 0 जे 0 एस किता 05 व पिटीशन
पेपर किता 01 कुल किता 06 पर सुरेन्द्र कुमार शर्मा डी ड्राईट तहसील-टोडाभीम से -
तहरीर करवा कर तकमील करवा दिया सो प्रमाण रहे । जरत पडने के समय पर काम
जावे । नोट:- 1। 1 इस विषय - पत्र की छाया प्रतिप्रकिय में अमठिन्य या खाय हो -
जाने पर पंजीयन विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । दिनांक:- 25.02.2009

EO विद्वेता पक्ष

रामश्याम



सुरेन्द्र कुमार शर्मा

EO कोषाध्यक्ष

हमारा उक्त भूमि पर कब्जा हो गया है । EO महासचिव

EO कोषाध्यक्ष

मि 1

गवाह:- 1। 1 श्री च्यार सिंह मीना पुत्र श्री ~~शंकर~~ गंगधर मीना जाति- मीना
निवासी- मान्नाज तहसील-टोडाभीम जिला- करौली [राज 0] आयु 50 साल पेशा-
कर्मो ।

{2}

हस्ताक्षर

श्री चनराज सोन पुत्री केताराम जाति मीना निवासी ठहरिया
तहसील नादोली जिला करौली [राज 0] आयु 36 साल

श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा
टोडाभीम (करौली) पेशा कपडा ।

25/2/09
सुरेन्द्र कुमार शर्मा
डी ड्राईट तहसील-टोडाभीम
भा- 5 440 10 423
दि 06/02

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

RAJASTHANI CONSUMERS
AWARENCES AND RESEARCH SOCIETY



22/07/1997

Permanent Account Number

AAAR3884Q

Signature

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (23)लेखा/आकाशि/अनुदान/2005-06/3135

दिनांक 25-6-05

कुल सचिव,
कोटा विश्वविद्यालय
कोटा

विषय- सत्र 2005-06 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार उच्च शिक्षा में पिछड़े (Lagging Area) क्षेत्र में नवीन महाविद्यालयों के लिए सत्र 2005-06 में प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर निम्नलिखित संस्था को छात्रों के नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु तीन वर्ष के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है-

क्र. सं.	संस्था/संस्था का नाम व भवन	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	स्थान का नाम जहाँ महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा	विषय/ संकाय
1	राजस्थानी कृष्णमूर्ति अवेरनेस एन्ड रिटर्न सोसायटी जोशी भवन, गोविन्दगढ़ जयपुर	राज्य साधना महाविद्यालय टोडा भीम करौली	श्री भोतीलाल भरोसी, य रामवरुण भन भवन, टोडा भीम, करौली	स्नातक स्तर पर कला संकाय में अनिवार्य विषयों सहित- राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाज शास्त्र, भूगोल, हिन्दी, संस्कृत, गृह विज्ञान, अंग्रेजी, चित्रकला, लोक प्रशासन। स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में अनिवार्य विषयों सहित- रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित।

- संस्था को तीन वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वयं की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचनाके कार्य भी पूर्ण करने होंगे। तत्पश्चात् संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा।
- संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
- अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वाह्न की कक्षाएँ चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षों में चलाई जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।
- शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे।
- छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी।
- राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा।
- आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अर्धकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अर्धकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
- ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण योजना की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की क्षमता का होना आवश्यक है।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (मय यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षकों) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कालेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा।